@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 29.05. 2022

एस0ओ0जी0 व थाना सदर बाजार को मिली बडी सफलता,

अन्तर्जनपदीय लिफाफा गैंग के सरगना खुर्शीद खाँ सहित कुल 07 सदस्य गिरफ्तार,

ठगी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण करीब 02 लाख कीमत के सोने के आभूषण, नगदी,

ठगी के शिकार लोंगों की आईडी, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन व 08 मोबाइल फोन बरामद ।

विगत करीब 02 माह से थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड, कचहरी व उसके आस- पास से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आने जाने वाली सवारियों को धोखा देकर उनकी ज्वैलरी व रुपए आदि सामान एक लिफाफे में रखवा कर वे लिफाफा बदलकर ठगी का घटनाओं को अन्जाम दिया गया था, 01 घटना में संदिग्धों की फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी थी, उक्त सभी घटनाओं के संबंध में थाना सदर बाजार पर पूर्व से ही अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित थी।

उक्त घटनाओं के अनावरण व लिफाफा बदलकर ठगी करने वाले गैंग के बारे में जानकारी कर उसे बस्ट करने के लिए श्री एस आनन्द , पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक श्री सरवनन टी. के पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस के साथ साथ एस0ओ0जी0 टीम शाहजहांपुर को भी टास्क दिया गया था। इसी क्रम मे एस0ओ0जी0 व थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जानकारी कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी।

दिनांक 28/05/2022 को सांय काल एस0ओ0जी0 टीम व थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उक्त गैंग की सूचनाओं का संकलन व लोकेशन ट्रेस कर उस समय महत्वपूर्ण सफलता हुई जब मुखविर खास की सटीक सूचना प्राप्त होने पर रोडवेज बस स्टैंड के पास से पर कुल 07 अभियुक्तों को एक लीलन रंग की बीट गाड़ी के साथ पकड़ा गया, उनके संदिग्ध होने पर कडाई से पूछताछ पर उनके द्वारा लिफाफा बदल कर ठगी का घटनाये कारित करने की स्वीकारोक्ति की गयी, जमातलाशी पर उनके कब्जे से पूर्व में की गई ठगी की घटनाओं से संबंधित करीब 02 लाख रपये कीमत के आभूषण व नगदी,ठगी के शिकार हुये व्यक्तियों के आधार कार्ड आदि सामान बरामद किये गये। पूछताछ के दौरान गिरोह के 02 अन्य सदस्य 1-इकरार 2-मुजाहिद प्रकाश मे आये है जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सदर बाजार पर वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः-

1. गैंग सरगना खुर्शीद खॉ पुत्र मुन्ने खॉ नि0मो0 बान खाना थाना प्रेमनगर जनपद बरेली उम्र करीब 52 वर्ष

2. मोबीन पुत्र रईस अहमद नि0मो0 स्वाले नगर,एक मिनार मस्जिद रामपुर रोड थाना किला जनपद बरेली उम्र करीब 36 वर्ष

3.मुश्तकीम पुत्र मुस्तफा नि0मो0 महेसपुरा, मठिया के पास थाना सी0बी0 गंज जनपद बरेली उम्र करीब 24 वर्ष

4.इमरान उर्फ सोनू पुत्र हसमत उल्ला नि0मो0 अहमदअली तालाब, बासमण्डी थाना कोतवाली जिला बरेली उम्र करीब 25 वर्ष

5. सानू सिंह पुत्र बनवारी लाला नि0 मौ0 छीपी टोला थाना किला जनपद बरेली उम्र करीब 30 वर्ष

6. नाम मौ0 ईशान खॉ पुत्र दुलारे मिया नि0 मौ0 छीपी टोला निकट मीद वाली मस्जिद थाना किला जनपद बरेली उम्र करीब 32 वर्ष

7. शावेज खॉन पुत्र जमीर अहमद नि0 गली मोचियान, मौ0 बॉस मण्डी थाना कोतवाली जिला बरेली उम्र करीब 42 वर्ष

वांछित अभियुक्तों का विवरणः-

1-इकरार पुत्र यामीन नि0 चौधरी तालाब निकट गंगा मंदिर थाना किला बरेली।
2-मुजाहिद पुत्र आबिद नि0 बाग अहमद अली तालाब बास मण्डी थाना कोतवाली बरेली।

बरामदगी का विवरण

1- चार अँगूठी लेडीज (पीली धातु)
2- दो गले की चैन (पीली धातु)
3- एक जोडी टॉप्स (पीली धातु)
4- 3500 रूपये नगद
5- घटना मे प्रयुक्त कार (शैवरेले बीट नं0 UP 25AW 2068)
6- दो आधार कार्ड (ठगी के शिकार व्यक्तियों के)
7- आठ मोबाइल

पूछताछ व अपराध कारित करने का तरीकाः-

इस गैग के सरगना खुर्शीद खाँ सहित सभी अभियुक्त बरेली नगर क्षेत्र के रहने वाले है, जो घटना कारित करने के लिये एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर चार पहिया वाहन से घटना के स्थान पर आ जाते थे यह लोग रोडवेज बस स्टैण्डो पर अकेली महिलाओं एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को देखकर उनसे कहते थे कि रोडवेज से कम किराये मे हम आपको गन्तव्य तक छोड देंगे तथा हमारी गाडी आगे खडी है। इनकी बातों मे आकर सवारीयाँ इनके साथ चल देती थी, सवारियों के बैठने के उपरान्त कुछ दूर जाने पर यह लोग अपने वाहन को सरकारी डाक विभाग अथवा प्रेस की गाडी वताकर कहते थे कि हमारे विभाग के अधिकारी किसी भी समय चैकिंग कर सकते है, हमारी गाडी में नगदी व आभूषण पहन कर जाना प्रतिबन्धित है, अत: आप लोग अपनी नगदी व आभूषण एक लिफाफे में बन्द कर रख लो, गाडी में बैठा इनका साथी स्वयं लिफाफा देता है और उसको टेप लगाकर बन्द करने के बहाने से लेकर लोगों की नजर बचते ही उसको बदलकर बैसा ही लिफाफा उनको दे देता है, सवारी अपना लिफाफा समझकर रख लेती है, जब सवारी के गन्तव्य पर पहुँचने तक यह लोग बहाना बनाकर एक एक कर खिसक लेते है, जब तक सवारी अपना लिफाफा खोलकर देखती है कि उसमे उसका सामान न होकर कंकड पत्थर रद्दी इत्यादि होने की जानकारी होती है कि उसके साथ ठगी हो गयी है और पुलिस तक शिकायत पहुँचने तक ये लोग आभूषण व नगदी लेकर जनपद की सीमाओं से बाहर निकल जाते है। हाल फिलहाल इस गैंग की लोकेशन एक दर्जन से अधिक जनपदों में पाई गई है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों से सम्पर्क स्थापित कर घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अनावरित अभियोगो का विवरणः-

1-मु0अ0स0 344/22 धारा 379/420 थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर।
2-मु0अं0स0 353/22 धारा 420/406 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर।
3-मु0अं0सं0 383/22 धारा 420 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर।
4-मु0अ0सं0 494/22 धारा 420/406 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर

पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री हरकेश सिंह थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
2. उ0नि0 श्री रोहित कुमार एसओजी प्रभारी शाहजहांपुर

3.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना सदर बाजार
4.हे0का0 170 अजय कुमार थाना सदर बाजार
5.का0 1976 रोहित कुमार थाना सदर बाजार
6.कां2018 विपिन कुमार थाना सदर बाजार
7.का0 168 अरविन्द कुमार थाना सदर बाजार
8.का0 264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह एसओजी शाहजहांपुर
9.का0 1475 अजय कुमार एसओजी शाहजहांपुर
10.का0 1435 दिलीप कुमार एसओजी शाहजहांपुर